



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.09.2026

**थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन चोरी की घटना कारित करने वाला
01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद ।**

दिनांक 27.09.2026 को थाना टीलामोड़ पर वादी सादिक पुत्र अनीस निवासी अली प्रेम गार्डन पसौन्डा नियर कासमी मस्जिद थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा फोन चोरी कर लिया गया है। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीलामोड़ पर धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया मैनुअल इनपुट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त मौ० रिजवान पुत्र असलम निवासी आयशा मस्जिद के पास ईदगाह रोड ग्राम पसौन्डा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को एयरो ग्रीन सोसायटी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त मौहम्मद रिजवान के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 305/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ, नशे की पूर्ति के लिये चोरी करता हूँ। मुझसे बरामद उक्त मोबाइल फोन चोरी का ही है, जिसे अली प्रेम गार्डन के एक घर से चोरी किया था। जिसे बेचने की फिराक में एयरो ग्रीन सोसायटी के आस पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौ० रिजवान पुत्र असलम निवासी आयशा मस्जिद के पास ईदगाह रोड ग्राम पसौन्डा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त मौ० रिजवान के विरुद्ध उक्त 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

**थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 शातिर
अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल, 09 बैंक डेबिट कार्ड व धोखाधड़ी
कर कार्ड से निकाले गये 20,000 रुपये बरामद ।**

दिनांक 28.09.2026 की रात्रि को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्त 1. विमल किशोर पुत्र भगवान दास निवासी इन्द्रानगर कस्बा व थाना कालपी जिला जालौन उम्र करीब 23 वर्ष, 2. सोनू पुत्र मनोज निवासी ग्राम हीरापुर थाना कालपी जिला जालौन उम्र करीब 26 वर्ष, 3. आजाद पुत्र हसरुद्दीन उर्फ इसरु निवासी ग्राम झारोकीड़ी थाना बछौर जिला नूहं मेवात हरियाण उम्र करीब 25 वर्ष, 4. अमित कुमार पुत्र रामासरे निवासी ग्राम शेखपुर गुढ़ा

थाना कालपी जिला जालौन उम्र करीब 20 वर्ष को एक्सिस बैंक के एटीएम बुध बाजार खोड़ा कलोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल, 09 बैंक डेबिट कार्ड व धोखाधड़ी कर कार्ड से निकाले गये 20,000 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 318(4), 317(2), 317(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि हमसे बरामद उक्त 02 मोटर साइकिलों को हम सभी (विमल किशोर, सोनू, आजाद, अमित कुमार) ने मिलकर कुछ दिनों पहले दिल्ली गाजीपुर क्षेत्र से चोरी किया था, तथा एटीएम डेबिट कार्ड को हम सभी ने अपने जानकार व आस-पास के लोगों को लालच देकर की हमारा पेमेन्ट कही से आ रहा हैं और हम आपको कुछ रुपये दे देगे इस प्रकार से उनके एटीएम कार्ड, पिन/पासवर्ड का पता कर लेते है। हम लोग उनके एटीएम डेबिट कार्ड का प्रयोग धोखाधड़ी करने के लिये करते है तथा उन डेबिट कार्डों वाले खातों में हम पेमेन्ट डालते हैं और फिर उन डेबिट कार्ड का प्रयोग हम एटीएम मशीन से पैमेन्ट निकालते वक्त धोखाधड़ी में करते हैं। जब हम लोग एटीएम मशीन से पेमेन्ट निकालते तो मशीन की ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के दौरान एटीएम रोलर के शटर को हाथ के अंगूठे से दबाकर एटीएम मशीन की ट्रांजेक्शन रोलर बन्द होने तक दबाकर रखते है तथा एटीएम से ट्रांजेक्शन के रुपये लेकर अपने पास रख लेते है, एटीएम मशीन के शटर को अंगूठे से दबाने के कारण ट्रांजेक्शन अनसक्सेज फुल का मैसेज डिसप्ले शो हो जाता है तथा ट्रांजेक्शन फेल हो जाती हैं। इस तरह से हमे उस ट्रांजेक्शन के रुपये मिल जाते है और हम लोग एटीएम डेबिट कार्ड धारकों को बता देते हैं कि आपके डेबिट कार्ड में जो हमने पेमेन्ट मांगाया था वह हमारा पेमेन्ट एटीएम मशीन में फंस गया हैं और उनसे अगले 24 घण्टे के बाद बैंक के टोल फ्री नम्बर पर शिकायत दर्ज करा देते है तथा इस शिकायत के आधार पर 07 दिन में जो बैंक से रुपये वापिस आते हैं। वह कार्ड धारकों से वापिस ले लेते है। दिनांक 26/09/2026 को हमारे द्वारा प्रेम विहार खोड़ा कालोनी मे स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन से एसबीआई के डेबिट कार्ड धारक चांदनी सिंह व इंडियन ओवरसीज बैंक के डेबिट कार्ड धारक अमित कुमार सिंह के डेबिट कार्ड से सुबह के समय दस-दस हजार रुपये की इसी तरह से ट्रांजेक्शन की गयी थी और जो रुपये हमसे बरामद हुए है वह चांदनी सिंह व अमित कुमार सिंह के डेबिट कार्ड की गयी ट्रांजेक्शन के है। आज फिर से हमलोग डेबिट कार्डों निकाले रुपयों को अन्य डेबिट कार्डों के खाते में जमा कर डेबिट कार्डों से निकालकर इसी तरह से ट्रांजेक्शन करने आये थे

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

- 1- विमल किशोर पुत्र भगवान दास निवासी इन्द्रानगर कस्बा व थाना कालपी जिला जालौन उम्र करीब 23 वर्ष।
- 2- सोनू पुत्र मनोज निवासी ग्राम हीरापुर थाना कालपी जिला जालौन उम्र करीब 26 वर्ष।
- 3- आजाद पुत्र हसरुद्दीन उर्फ इसरु निवासी ग्राम झारोकीड़ी थाना बछौर जिला नूह मेवात हरियाण उम्र करीब 25 वर्ष।
- 4- अमित कुमार पुत्र रामासरे निवासी ग्राम शेखपुर गुढ़ा थाना कालपी जिला जालौन उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल, 09 बैंक डेबिट कार्ड व कार्ड से निकाले गये 20,000 रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- अभियुक्त विमल के विरुद्ध थाना खोड़ा पर उक्त 01 अभियोग, दिल्ली में वाहन चोरी के 02 अभियोग, जनपद जालौन में एटीएम कार्ड चोरी व वाहन चोरी के 03 अभियोग कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।
 - अभियुक्त सोनू के विरुद्ध थाना खोड़ा पर उक्त 01 अभियोग, दिल्ली में वाहन चोरी के 02 अभियोग, जनपद जालौन में एटीएम कार्ड चोरी व वाहन चोरी के 03 अभियोग कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।
 - अभियुक्त आजाद के विरुद्ध थाना खोड़ा पर उक्त 01 अभियोग, दिल्ली में वाहन चोरी के 02 अभियोग, हरियाणा राज्य में वाहन चोरी व एटीएम कार्ड चोरी के 02 अभियोग कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।
 - अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध थाना खोड़ा पर उक्त 01 अभियोग, दिल्ली में वाहन चोरी के 02 अभियोग, जनपद जालौन में एटीएम कार्ड चोरी व वाहन चोरी के 03 अभियोग कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।
- उपरोक्त अभियुक्तों के शेष आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा एसी के कापर कुलिंग क्वाइल व पाइप चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का एसी की कापर कुलिंग क्वाइल व 4.00 किलोग्राम एसी का कापर कुलिंग पाइप बरामद।

दिनांक 27.09.2026 को थाना कौशाम्बी पर वादी श्री कुमार अभिषेक पुत्र श्री अनिल कुमार सिन्हा निवासी जयपुरिया बिल्डिंग सै0-14 कौशाम्बी द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे व पड़ोस की बिल्डिंग से स्प्लिट एसी के कापर तार व कापर कंडेसर चोरी कर लिया गया है। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी पर धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान आज दिनांक 28.09.2026 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त शिवम पुत्र राजबीर उर्फ राजेश निवासी झुग्गी झोपड़ी शुक्र बाजार रोड भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को सीमान्त विहार नर्सरी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एसी की कापर कुलिंग क्वाइल व 4.00 किलोग्राम एसी का कापर कुलिंग पाइप बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त शिवम के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त शिवम ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने शौक मौज पूरे करने के लिये चोरी करता हूँ, मुझसे बरामद एसी की कुलिंग क्वाइल व कुलिंग पाइप चोरी की ही है। जिसके मैंने दिनांक 26/27.09.2026 की रात्रि को कौशाम्बी में जयपुरिया सोसायटी से चोरी किया था। जिसे बेचने के लिये सीमान्त विहार नर्सरी के आस-पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शिवम पुत्र राजबीर उर्फ राजेश निवासी झुग्गी झोपड़ी शुक्र बाजार रोड भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कब्जे से चोरी का एसी की काँपर कुलिंग क्वायल व 4.00 किलोग्राम एसी का कापर कुलिंग पाईप बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम के विरुद्ध थाना कौशांबी पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 26.09.2026 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी दुष्यंत कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार निवासी ग्राम बहाँपुर, भवन बहादुरनगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 23.09.2026 को वशुन्धरा सै-03 फ्लिक्कार्ड स्टोर के पास से दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटर साइकिल को चोरी कर लिया गया है । वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

घटना का अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया । मैनुअल इनपुट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर आज दिनांक 28.09.2026 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त रौनक पुत्र नीरज शर्मा निवासी झंडापुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को एलिवेटेड के नीचे से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) की बढौतरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त रौनक से पूछताछ करने पर बताया कि मैं और मेरा साथी महताब हम दोनों नशे के आदी है, नशे की पूर्ति के लिये हम दोनों मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देते है । मुझसे बरामद उक्त मोटर साइकिल चोरी की है, जिसे दिनांक 23.09.2026 को वशुन्धरा सै-03 से हम दोनों ने चोरी किया था । आज उक्त मोटर साइकिल को बेचने के लिये हम दोनों एलिवेटेड के आस पास घूम रहा था । पुलिस को देखकर मेरा साथी महताब मौके से भाग गया । जहां मुझे पकड़ लिया गया । महताब पुत्र अनवर की गिरफ्तारी हेतु टीमों गठित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

रौनक पुत्र नीरज शर्मा निवासी झंडापुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष ।

फरार अभियुक्त का नाम व पता

महताब पुत्र अनवर निवासी झंडापुर गली नं0- 1 थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त रौनक के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर उक्त 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटर साईकिल चोरी करने वाला 01

अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल बरामद ।

दिनांक 28.09.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटर साईकिल चोरी करने वाला अभियुक्त कुनाल पुत्र मुकेश कुमार जाटव निवासी बन्थला कावरी सिटी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को हिण्डन रिवर मेट्रो स्टेशन की पार्किंग कट के पास से थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । कब्जे से एक अदद चोरी की मोटर साईकिल स्पैलेण्डर रजि0नं0 -DL5SCP6078 बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना पर अभियोग अन्तर्गत धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब यह मोटर साईकिल मैंने अपना खर्चा चलाने व नशा करने के लिए दिल्ली से चोरी की थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त कुनाल पुत्र मुकेश कुमार जाटव निवासी बन्थला कावरी सिटी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

एक मोटर साईकिल

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त कुनाल उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में थाना नन्दनगरी में एक अभियोग चोरी संबंधी व थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद में 01 अभियोग चोरी की संपत्ति बरामद होने के संबंध में कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।